पत्रांक: संख्या-सी0ए0-331/दस-2001-मि0-1/2000

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 02 जून 2001

विषय :-प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता

महोदय,

संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता लाये जाने की आवश्यकता को देखते हुये एवं विकास कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों से प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे हैं। पूर्व वर्ष में जारी किये गये शासनादेश संख्या-10/दस-सं0वि0मि0 1/2000, दिनांक 9 जनवरी, 2001 में उल्लिखित बिन्दुओं का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा :-

(1) सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0वि0मि0-2/97, दिनांक 19मार्च, 1997 में नीति का निर्धारण किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी द्वारा जिसे वाहन आवंटित है, प्रतिमाह प्रति वाहन राजकीय कोष में निश्चित निर्धारित राशि जमा की जानी थी। वर्तमान में यह राशि रू0500/- कार के लिये तथा रू0400/- जीप के लिये निर्धारित की गई है। इस शासनादेश में वाहन के उपयोग से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं, जो उक्त शासनादेश के प्रस्तर (अ)(2) व(3) में दिये गये हैं, का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

...2

उक्त प्रस्तर-2 व 3 में उल्लिखित निर्देशों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वाहनों हेतु पेट्रोल की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि वाहनों का उपयोग उक्त निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है अन्यथा ऐसे वाहनों के लिये, जो नियमानुसार नहीं चलाये जा रहे हैं पेट्रोल की स्वीकृति नहीं दी जाये।

12। मितव्ययता निर्देशों में राहत आयुक्त तथा गृह विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निवास पर एस0टी0डी0 की सुविधा टेलीफोन पर उपलब्ध कराई गई है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त निर्देशों के अनुसार मुख्यालय में विभागाध्यक्ष व सचिव से निम्नस्तर के अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन पर एस0टी0डी0 की सुविधा उपलब्ध नरहे। मंडल स्तर पर मंडलीय आयुक्त व उप महानिरीक्षक तथा जनपदों में केवल जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर यह सुविधा अनुमन्य की गई है। इन निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

13। दूरभाष की सुविधा के अन्तर्गत मितव्ययता निर्देशों में सेल्यूलर फोन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में शासन की वर्तमान नीति का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया है किन्तु इस सम्बन्ध में उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दूरसंचार की नई व्यवस्था के तहत सेल्यूलर फोन के उपयोग को देखते हुये इस सम्बन्ध में जारी तत्कालीन मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त मुख्य सचिव का अनुमोदन प्रत्येक दशा में सेल्यूलर फोन क्रय किये जाने के लिये आवश्यक है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा सेल्यूलर फोन के बिलों का भुगतान केवल उन सेल्यूलर फोन्स के सम्बन्ध में किया जायेगा, जो निर्धारित नीति के अनुसार

.....3

नियमानुसार क्रय किये गये हैं। अतः ऐसे टेलीफोन बिलों के भुगतान के समय उपभोक्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित टेलीफोन का क्रय किसेयजाने के पूर्व मुख्य सचिव की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

14। मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 9 जनवरी, 2001 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मितव्ययता से सम्बन्धित किसी भी बिन्दु के अन्तर्गत धन के व्यावर्तन का प्रस्ताव स्वीकृत न किया जाय जब तक कि उक्त आवश्यकता के सापेक्ष अन्यत्र से उक्त सीमा तक स्पष्ट बचत की स्थिति से अवगत नहीं कराया जाता। किसी भी प्रकार से इन मदों के समक्ष अतिरिक्तता स्वीकृत न की जाय।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव.

तं0सी0ए0 331।।।/दस-2001-मित-1/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को इसकी अतिरिक्त प्रतियों के सहित। इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों और अपने विभागों से सम्बन्धित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

आज्ञा से,

डा0 बी0एम0 जोशी
सचिव

.....4

सं0सी0एस0-3311111/दस-2001-मित-1/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी ।

3- समस्त कोषाधिकारी ।

4- महालेखाकार । व 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

5- समस्त सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

6- समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय ।

7- समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी ।

आज्ञा से,

डा0 बी0एम0 जोशी ।
सचिव.